शुद्ध जल मौलिक अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

दैनिक जागरण , नई दिल्ली, दिनांक :14-01-2021

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नदियों में प्रदूषण और उससे लोगों की सेहत पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर चिंता जताते हुए कहा है कि साफ पर्यावरण व प्रदूषण रहित जल (शुद्ध जल) व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और इसे सुनिश्चित करना कल्याणकारी राज्य का संवैधानिक दायित्व है। कोर्ट ने मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा है कि संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार देता है और इस अधिकार में गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार शामिल है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 47 और 48 में जन स्वास्थ्य ठीक करना और पर्यावरण संरक्षित करना राज्यों का दायित्व है। साथ ही प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्रकृति जैसे वन, नदी, झील और जंगली जानवरों का संरक्षण और रक्षा करे। दरअसल, कोर्ट ने नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के मामले में सूनवाई शुरू की है और इसकी शुरूआत यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने से की है।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, एएस बोपन्ना और वी. रामासुब्रमणियम की पीठ ने हरियाणा से आ रहे पानी में प्रदूषण की शिकायत करने वाली दिल्ली जल बोर्ड की (डीजेबी) की अर्जी पर सुनवाई के दौरान उक्त टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा अर्जी यमुना में अमोनिया बढ़ने की शिकायत से जुड़ी है। यह न सिर्फ इंसानों की सेहत, बल्कि जल पर निर्भर रहने वाले हर जीव के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। अत्याधिक बढ़ती जन संख्या, आधुनिक रहन-सहन, बड़े पैमाने पर बढ़ती मानवीय गतिविधियों व उद्योगों ने साफ जल की मांग बढ़ाई। पानी का सीधा संबंध व्यक्ति की सेहत से है। ये स्थापित बात है कि प्रदूषित जल की आपूर्ति लोगों में बीमारियों का मुख्य कारण है। शुद्ध जल और साफ पर्यावरण व्यक्ति के जीवन के अधिकार के तहत आता है।